



पट्टे पर परिसर प्राप्त करने के लिए निविदा दस्तावेज का प्रारूप

पूर्व-योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे :-

- आवेदक (आवेदक) परिसर के वास्तविक स्वामी (स्वामी) या सत्ता अधिकार धारक (धारक) होने चाहिए।
- आवेदक/आवेदकों को पैन नंबर के साथ आयकर दाता होना चाहिए और उनके कर रिटर्न अद्यतन होने चाहिए।
- भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। भवन का रखरखाव सुचारू रूप से होना चाहिए और वह 20 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- परिसर अच्छी आवासीय/व्यावसायिक बस्ती में भूतल पर स्थित होना चाहिए, जिसमें उचित पहुंच और समर्पित पार्किंग की व्यवस्था हो।
- इमारत आग, जलभराव, बाढ़ आदि जैसे विशेष खतरों से मुक्त होनी चाहिए।
- परिसर में चौबीसों घंटे पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए और स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों से उचित अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए।
- मकान मालिक को नगरपालिका, निगम और राजस्व अधिकारियों के सभी बकाया और अन्य वैधानिक दायित्वों का भुगतान करना चाहिए।
- (अपार्टमेंट के मामले में) परिसर को पट्टे पर देने के लिए स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त अधिभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
- मकान मालिक को बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक परिवर्तन/परिवर्तन करने के तुरंत बाद परिसर का खाली कब्जा देने की स्थिति में होना चाहिए।

1. निविदाएं जमा करने की विधि:

निविदाएं केवल सीलबंद लिफाफों में ही जमा की जानी चाहिए। निविदा लिफाफों के तीन भाग होंगे।

पहला लिफाफा (तकनीकी बोली लिफाफा): इस लिफाफे में आवेदन का प्रथम भाग (भाग -1) होना चाहिए, जिसे बोलीदाता/बोलीदाताओं द्वारा सभी पृष्ठों पर विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया हो, साथ ही आवश्यक संलग्नक भी होने चाहिए। लिफाफे को बंद और सीलबंद किया जाना चाहिए और उस पर "गोविन्द नगर (0158) या शाखा सर्वोदय नगर (1447) शाखा/कार्यालय परिसर के लिए तकनीकी बोली (अनुलग्नक अ के अनुसार)" अंकित होना चाहिए और लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता और मोबाइल संख्या भी अंकित होना चाहिए।

दूसरा लिफाफा (वित्तीय बोली लिफाफा): इस लिफाफे में आवेदन का द्वितीय भाग (भाग-2) होना चाहिए, जिस पर बोलीदाता/बोलीदाताओं के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर हों। यह लिफाफा बंद और सीलबंद होना चाहिए और इस पर "वित्तीय बोली (परिशिष्ट B के अनुसार) शाखा गोविन्द नगर (0158) या शाखा सर्वोदय नगर (1447) शाखा/कार्यालय परिसर के लिए" अंकित होना चाहिए। साथ ही, इस पर बोलीदाता का नाम और पता और मोबाइल संख्या भी अंकित भी होना चाहिए।

तीसरा लिफाफा - पहले और दूसरे दोनों लिफाफे को तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उस पर "गोविन्द नगर (0158) या सर्वोदय नगर (1447) शाखा/कार्यालय परिसर के लिए सीलबंद निविदा" लिखा होना चाहिए और इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीएसडी विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को संबोधित किया जाना चाहिए।

2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 14 जुलाई 2027 सॉय 5.00 बजे तक

3. जमा करने का स्थान: 113/179 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर -208002

4. निविदाएं कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बैंक द्वारा समय रहते तय की गई तिथि पर या किसी अन्य तिथि पर खोली जाएंगी।



5. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा निर्दिष्ट तिथि और समय से पहले बैंक को प्राप्त हो जाए और डाक संबंधी या किसी भी प्रकार की देरी के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं और यह निर्णय पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर करेगा।
6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कारण से किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार, अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और साथ ही तकनीकी रूप से उपयुक्त किसी भी बोलीदाता को, जो सबसे कम बोली लगाने वाला न हो, उचित और उपयुक्त समझे जाने पर आदेश देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
7. केवल बिना शर्त निविदाएँ ही स्वीकार की जाएँगी। किसी भी शर्त सहित निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता वित्तीय निहितार्थ वाली कोई शर्त लगाना चाहता है, तो उसे निविदा में इसका उचित विवरण देना चाहिए और निविदा में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए।
8. बैंक, प्रस्तावित स्थल के स्थान, प्रस्तावित परिसर के क्षेत्रफल, मुख्य सड़क से पहुंच, उपलब्ध पार्किंग स्थान, उपलब्ध सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचा (जैसे लिफ्ट, बैकअप डीजी सेट आदि) तथा तकनीकी बोली में उल्लिखित अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी बोली निविदा में दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट करेगा।
9. तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्तावों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल चयनित प्रस्तावों के लिए ही भविष्य में किसी तिथि पर खोली जाएगी और चयनित बोलीदाताओं को इसकी सूचना बाद में दी जाएगी।
10. संभावित प्रस्ताव के चयन पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
11. विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।
12. किराया: बैंक मकान मालिक से संपत्ति का कब्जा लेने की तारीख से किराया देना शुरू करेगा। कब्जा लेने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान मालिक ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और मकान मालिक द्वारा किए जाने वाले सभी बदलाव बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरे कर दिए गए हैं। परिसर का संयुक्त माप फर्श क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा।
13. पट्टा दस्तावेजों का निष्पादन: एक बार बैंक द्वारा परिसर को पट्टे पर ले लिए जाने के बाद, बैंक के मानक पट्टा प्रारूप के अनुसार पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा और इसे संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकृत कराया जाएगा। पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क मकान मालिक और बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
14. आवेदक को राशि रु 10000 का डिमांड ड्राफ्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के नाम से टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा जोकि टेंडर पश्चात ही लौटाया जायेगा।

(प्रशांत श्रीवास्तव)
मुख्य प्रबंधक